न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 108 / 2023 GCMS No.–2019/00141

1. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र चौगान सहाय जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम इन्द्रपुरी, गोविन्दपुरा रोड, इण्डियन गैस गोदाम के पीछे, सांगानेर जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र लल्लू जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. पुलिस थाना अधिकारी सांगानेर सदर, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश अर्न्तगत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 दिनांक 13.04.2018 को पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री विशाल जोशी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 14.10.2024

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.04.2018 बाबत प्रकरण बउनवानी समस्त ग्रामवासी बनाम खेमचन्द वगै0 के विरूद्ध रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये जिससे से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पा. संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों अनुसार रेस्पा0 संख्या दो के द्वारा रेस्पा0 संख्या एक को पत्र दिनांक 15.07.2012 प्रेषित किया गया कि ग्रामवासी इंद्रपुरी के व्यक्तियों ने थाना हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया है कि ग्राम इंद्रपुरी में आबादी भूमि में सरकारी रास्ता स्थित है जो गोविंदपुरा रोड से मालियो की ढाणी एवं इंद्रपुरी कॉलोनी में आने जाने का रास्ता है तथा उक्त रास्ते पर अपीलांट व अन्य व्यक्तियों ने रास्ता पत्थर डालकर व तारबंदी कर अवरूद्ध कर दिया। रेस्पा0 संख्या एक ने उक्त पत्र पर ही टिप्पणी अंकित कर मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश पारित कर दिए तथा पटवारी हल्का को दिनांक 30.07.2012 को इस संबंध में तहरीर जारी की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट दिनांक

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

07.08.2012 को रेस्पा0 संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया कि खसरा नंबर 250, 262, 281 गैर मुमकिन रास्ता निजी खातेदारी में दर्ज है और उक्त रास्ता आवागमन के काम आता है। इसके पश्चात पुनः पुलिस थाना अधिकारी सांगानेर सदर द्वारा दिनांक 17.10.2012 को पुनः रेस्पा0 संख्या एक को पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 08.01.2013 को पक्षकारान जरिये अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 के समक्ष उपस्थित हुए तथा दिनांक 13.04.2018 को रेस्पा0 संख्या 1 के द्वारा उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति में थाना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को निस्तारित कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया। रेस्पा0 संख्या 1 के द्वारा दिनांक 12.12.2012 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आम जनता के आधार पर दर्ज किया जबकि प्रार्थना पत्र आम जनता के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर थाना अधिकारी सांगानेर के द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर दर्ज किया एवं रेस्पा0 संख्या 1 पत्र को ही प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 251 का मानकर दर्ज किया ऐसी अवस्था में रेस्पा0 संख्या एक विधि विपरीत जाकर तथा अपीलीय शक्तियों का मनमाना प्रयोग करते हुए प्रकरण दर्ज कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 250 के उपभोग से वंचित करने के उद्वेश्य से व अवैध कॉलोनीवासियों को रास्ता दिलाने की गरज से तथा राजनेताओ से मिलीभगत कर आलौच्य आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा अपीलांट की भूमि के संबंध में आदेश पारित करने से पूर्व ना तो किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलांट को प्रेषित किया गया और ना ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट व राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 250 निजी खातेदारी की भूमि है तथा जो आम रास्ते की भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 की पालना नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2018 निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट ने आम रास्ते पर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा थानाधिकारी थाना सांगानेर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

सदर के पत्र बाबत समस्त ग्रामवासी इन्द्रपुरी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर कार्यवाही करते हुए संबंधित खातेदार काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। इस संबंध में पटवारी एवं गिरदावर हल्का से रिपोर्ट भी ली गयी एवं सीमा ज्ञान कराया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं गिरदावर हल्का ग्राम इंद्रपुरी स्थिति खसरा नंबर 262 रकबा 0.11है0 व खसरा नंबर 250 रकबा 0.07 है0 पर अन्य खातेदारो द्वारा आंशिक अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की गयी। जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा विवादित रास्ते पर आंशिक रूप से हटाये जाने एवं रास्ता सुचारू करने के आदेश दिनांक 13.04.2018 को पारित किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2016 अनुसार खसरा नंबर 262, 250 वर्तमान में निजी खातेदारी में दर्ज है जिसकी किस्म गै.मु.रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम इंद्रपुरी तहसील सांगानेर स्थित खसर नंबर 262, 250 किस्म गै.मु. रास्ते पर उक्त खसरा नंबरो के लगवा खातेदारो द्वारा किये गये आंशिक अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार तहसीलदार बाधित भूमिधारी/खातेदार के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करता है किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में थानाधिकारी के समक्ष ग्रामवासियो द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिए प्रकरण में किसी खातेदार/भूमिधारी द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रभावित पक्षकारो (खातेदार/काश्तकार) की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो अनुसार न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 बउनवानी प्रकरण समस्त ग्रामवासी बनाम खेमचन्द वगै0 बाबत खसरा नंबर 250, 262 निरस्त किया जाता है साथ ही प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता है कि वह अपीलांट्स एवं खसरा नंबर 250, 262 के खातेदार/काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन भूमि का मौका निरीक्षण कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार सांगानेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर